



2026:AHC:39537

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2612/2026

ओम प्रकाश

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: विजय कुमार राय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार राय तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता चपरासी के पद पर सेवानिवृत्त हुआ, किंतु उसे चिकित्सा व्यय के रूप में किए गए खर्च के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने के लिए है।

4. विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे के निर्धारण की आवश्यकता पहले चौथे प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.), आजमगढ़ द्वारा की जानी है।

5. ऐसे प्रस्तुतीकरण पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सादर स्वीकार करते हैं।

6. प्रतिवादी पक्षकारों के प्रस्तुतीकरणों तथा उनके द्वारा उठाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को चौथे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए किया जा रहा है, जो उसके प्राप्त होने पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार सख्ती से निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि चौथा प्रतिवादी इस राय का है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो अभिलेख उसी को प्रेषित कर दिए जाएंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह कहना निरर्थक नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने को यह अभिव्यक्ति नहीं समझा जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में प्रवेश कर निर्णय किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”